न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 2/425/2015
वउनवान

1. रामपाल पुत्र बुद्दा जाति मीना निवासी सालवाडी तहसील कठूमर जिला अलवर

——— सायल

बनाम

1. सुमेर पुत्र रामपाल जाति मीना निवासी सालवाडी
2. चतर पुत्र रामपाल जाति मीना निवासी सालवाडी
3. शांति पत्नी रामपाल जाति मीना निवासी सालवाडी तहसील कठूमर जिला अलवर

——— गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

श्री देवेन्द्रसिंह नरूका एडवोकेट : वकील सायल

आदेश

दिनांक 24.01.2018

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नम्बर 100 रकवा 0.75 हे. ग्राम सालवाडी तहसील कठूमर में स्थित है। जो आराजी सायल की कब्जे काश्त खातेदारी की दर्ज रेकार्ड आराजी है। जिस पर सायल काविज रहकर काश्त करता है। जिसमें सायल का पुख्ता चाह है। सायल ने सिंचाई बास्ते विवादित आराजी में 250 फुट गहरा बोर करवाया हुआ है। गैरसायलान का विवादित आराजी से किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है लेकिन गैरसायलान ताकत व लट्ठ के वल पर सायल को विवादित आराजी से वेदखल कर स्वंय कब्जा करना चाहते है अतः सायल ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को आराजी खसरा नम्बर 100 वाके ग्राम सालवाडी में सायल के कब्जे काश्त में बाधा पैदा ना करने जवरन

वेदखल कर खुद कब्जा ना करने वावत गैरसायलान को पाबन्द करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र सायल दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया।

सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 वाके ग्राम खेरलीरेल की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

वहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया।

विद्वान अधिवक्ता सायल ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 100 रकवा 0.75 हे. ग्राम सालवाडी सायल की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। गैरसायल संख्या 1–2 सायल के पुत्र व गैरसायल संख्या 3 सायल की पत्नी है। चार पुत्र और भी है। विवादित आराजी के अलावा अन्य आराजी है जिसका सायल ने सभी 6 पुत्रों में वहिस्सा बराबर बंटवारा कर रखा है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 100 सायल ने अपने पास रखा है जिसमें बोर लगवा रखा है जिसकी आमदनी से ही सायल अपनी आजीविका चलाता है। गैरसायलान विवादित आराजी व इसमें लगे बोरिंग के सायल के उपयोग एंव उपभोग में बाधा पैदा करते है। गैरसायलान विवादित आराजी व बोरिगं पर जवरन कब्जा करना चाहते है सायल के उपयोग एंव उपभोग में दखलनदाजी करते है। सायल विवादित आराजी का रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है। गैरसायलान को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों विन्दु सायल के पक्ष में सावित है। अतः गैरसायलान को पाबन्द किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। सायल को प्रार्थना पत्र में सफलता प्राप्त करने के लिये निम्न तीन विन्दुओं को अपने पक्ष में सावित कराना है

1. प्रथम दृष्टा केस
2. सुविधा का सन्तुलन
3. ना–पूर्ति होने वाली क्षति

उक्त विन्दुओं पर हमारा विवेचन निम्न प्रकार से है।

हमने पत्रावली के तथ्यों पत्रावली में संलग्न राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता सायल की वहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता सायल का कथन कि खसरा नम्बर 100 के अलावा अन्य आराजी का 6 पुत्रों के मध्य सायल ने वहिस्सा बराबर बंटवारा कर रखा है। अपनी आजीविका चलाने के लिये खसरा नम्बर 100 अपने पास रख रखा है जिसमें सायल ने बोरिंग लगा रखा है। गैरसायलान विवादित आराजी व इसमें लगे बोर पर जवरन कब्जा करना चाहते है व विवादित आराजी व इसमें लगे बोर के उपयोग एंव उपभोग में बाधा पैदा करते है। सायल द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 वाके ग्राम सालवाडी में विवादित आराजी सायल की कब्जे काश्त खातेदारी में दर्ज है। एक खातेदार काश्तकार को उसकी आराजी में कब्जे काश्त में बाधा पैदा करना गैरकानूनी है। यदि गैरसायलान ने सायल को विवादित आराजी व उसमें लगे बोरिंग के उपयोग एंव उपभोग में बाधा पैदा की तो सायल को नुकशान क्षति व असुविधा होना संभव है। प्रार्थना पत्र के तीनों विन्दु सायल के पक्ष में सावित है। अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को पाबन्द किया जाता है कि वो दावा के अंतिम निर्णय तक आराजी खसरा नम्बर 100 रकवा 0.75 हे. वाके ग्राम सालवाडी तहसील कठूमर में सायल के उपयोग एंव उपभोग में बाधा पैदा ना करें। मौके की स्थिति में किसी तरह का परिवर्तन ना करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो वाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न हो।

(कनिष्क सैनी)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

आज दिनांक 24.01.2018 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कनिष्क सैनी)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर